न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—55/2016/225 (2016/00055)

1. भागचन्द पुत्र जीवण
2. कैली देवी पत्नि जीवण
3. सोभाग पुत्र जीवण
4. रामेश्वर पुत्र जीवण
5. दुलीचन्द पुत्री जीवण
6. श्रीमती गंगा बेवा हरकरण
7. सांवरलाल पुत्र हरकरण
8. शैतान पुत्र हरकरण

समस्त जाति जाट निवासी सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. दर्शन लाल पुत्र शोदान जाट ग्राम सनोद।
2. पदमचन्द पुत्र कुंजलाल महाजन ग्राम सनोद।
3. हेमन्त वैष्णव पुत्र महावीर वैष्णव (साधू) ग्राम सनोद
4. संजय वैष्णव पुत्र महावीर वैष्णव (साधू) ग्राम सनोद
5. कमलादेव पत्नि महावीर वेष्णव (साधू) ग्राम सनोद
6. पोखर पुत्र बालदास साधू ग्राम सनोद
7. बदरी उर्फ लाला पुत्र बालदास साधू ग्राम सनोद
8. घनश्याम पुत्र बालदास साधू ग्राम सनोद
9. मिश्रीलाल पुत्र हरचन्द साधू ग्राम सनोद
10. सांवरलाल पुत्र रामचन्द खारोल ग्राम सनोद
11. श्रीमती जिया पत्नि हीरा जाट ग्राम सनोद ।
12. नाथूलाल पुत्र हीरा जाट निवासी सनोद, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
13. तहसीलदार, नसीराबाद,जिला, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 12.12.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 8/2014.

उपस्थितः—

1. श्री मंगला राम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकर लाल चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01,11, 12.
3. श्री नवल सिंह निर्मल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 09 अनुपस्थित.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 13.
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 22.07.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 12.12.2015, प्रकरण संख्या 8/2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सनोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 5271 रकबा 1.44 है0 के अपीलांटस रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर आने—जाने के लिए खसरा नम्बर 4111, 4111/6255 4141, 4141/6255, 4142, 4109 तथा 4143 के राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित रास्ते से होकर अपील आराजीयात पर कृषि यंत्र लाने व ले जाने के लिए उपयोग व उपभोग पूर्वजो के समय से लेते चले आ रहे है किन्तु खसरा नम्बर नम्बर 4143 के खातेदारान द्वारा पूर्वी दिशा की मेड़ के पास—पास राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित रास्ते को तोड़कर फसल काश्त कर बार—बार अवरूद्ध कर देते है। अतः खसरा नम्बर 4143 में से 20 से 30 फीट चौड़ा रास्ता अपीलांटस की आराजीयात तक दिलवाया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिफल राशि अपीलांटस, रेस्पोडेन्टस को अदा करने के लिए के तत्पर है एवं रास्ते में आने वाली भूमि के रकबे को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय में अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर विवादित आराजी की तहसीलदार, नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब करने तथा रेस्पोडेन्टस को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब करने के निर्देश दिये। जिस पर तहसीलदार, नसीराबाद के अधीनस्थ भू—अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 19.12.2014 को रिपोर्ट रूबरू गवाहान बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की तथा रेस्पोडेन्ट को सम्मन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटस व पेरोकार सरकार की बहस समायत कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 12.12.2015 के माध्यम से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली में रिकार्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 09 के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का तलबी बंद की गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 5271 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4143 में से रास्ता क्लेम किया था जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को अनुतोष प्रदान करने या नहीं करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं कर केवल मात्र खसरा नम्बर 4142 जो कि सिवायचक अंकित है तथा उक्त खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज है तथा मौके पर निर्बाध रूप से चालू है। केवल मात्र खसरा नम्बर 4143 के खातेदारान द्वारा बार—बार अवरूद्ध कर देने के कारण अपीलांटस ने विधिवत रूप से अनुतोष चाहा था। प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जमाबंदी खसरा नम्बर 4111 रकबा 0.03 वारानी–2 जो कि हीरा के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में भूमि को सिवायचक मानने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई मौका रिपोर्ट जो भू–निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.12.2014 प्राप्त हुई है उक्त मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र में मांगे अनुतोष के विपरीत कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण एवं विधि में वर्णित प्रावधानो का अध्ययन व अवलोकन किये बगैर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 11, 12 ने दौराने जवाब वहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र को इसलिए खारिज किया है कि क्योंकि धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् कोई व्यक्ति स्वयं की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए खातदेारी आराजी में से ही रास्ता पारित कराने का अधिकारी है। प्रार्थी/अपीलांट ने जिस रास्ते की मांग की है उस रास्ते में आगे सिवायचक आराजी है। इसलिए प्रार्थी/अपीलांट को रास्ते देने का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं आई.एल.आर.एवं पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब कर आदेश विधि सम्मत होने से अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधानो के अनुसार नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिए दो चीजे आवश्यक है, आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए को प्रभाव देने के लिए बनाये गये नियम 69 में भी स्पष्ट किया गया है कि 1–आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है एवं 2–किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस अपनी आराजी खसरा नम्बर 5271 पर आने जाने तथा कृषि यंत्र लाने व ले जाने के लिए खसरा नम्बर 4143 की पूर्वी मेड़ के पास–पास 20 से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने कोई खण्डन ही नही किया गया न ही उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार कानूनी बाध्यता नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.12.2014 को जो आदेश पारित किये है नॉन–स्पीकिंग आदेश है जिसमें अपीलांटस को अनुतोष प्रदान करने या नही करने के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं कर केवल मात्र खसरा नम्बर 4142 व 4111 जो कि सिवायचक अंकित है इसलिए धारा 251–क राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं, जबकि उनको खसरा नम्बर 4143 के बाबत् कारण अंकित करना चाहिए कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पूर्व रास्ता अवरूद्ध किया है या नजदीकी रास्ता है या नही। इस प्रकार न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2015, प्रकरण संख्या 8/2014 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 8/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उपनियम 69 की पालना करते तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता /केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करतें हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर